

राजस्थान उच्च न्यायालय

जयपुर बेंच

डी.बी. आयकर अपील संख्या 90/2020

प्रधान आयकर आयुक्त, केंद्रीय, नया केंद्रीय राजस्व भवन, स्टेच्यू सर्किल, जयपुर
(राजस्थान)

----अपीलकर्ता

बनाम

मैसर्स हरि नारायण परवाल, हफ, 376, नाहरगढ़ रोड, चांदपोल बाजार, जयपुर।

----उत्तरदाता

से जुड़े

डी.बी. आयकर अपील संख्या 94/2020

प्रधान आयकर आयुक्त-केन्द्रीय, नया केन्द्रीय राजस्व भवन, स्टेच्यू सर्किल, जयपुर
(राजस्थान)

----अपीलकर्ता

बनाम

सुश्री हर्षिता माहेश्वरी, हफ, 376, नाहरगढ़ रोड, चांदपोल बाजार, जयपुर।

----उत्तरदाता

अपीलकर्ता(ओं) की ओर से	: श्री सिद्धार्थ बापना
प्रतिवादी(ओं) की ओर से	: श्री रजत शर्मा (वीसी के माध्यम से)
	श्री प्रकुल खुराना की ओर से

माननीय श्री न्यायमूर्ति अवनीश झिंगन

माननीय श्रीमती जस्टिस शुभा मेहता

आदेश21/02/2024अवनीश झिंगन, जे (मौखिक):-

- ये अपीलें दिनांक 20.03.2020 के आदेश से उत्पन्न कानून के महत्वपूर्ण प्रश्नों को प्रस्तावित करते हुए दायर की गई हैं, जिसके तहत सुधार के लिए आवेदन को अस्वीकार कर दिया गया था।
 - उत्तरदाता के विद्वान अधिवक्ता ने प्रारंभिक आपत्ति उठाई है कि अपील स्वीकार्य नहीं है।
- मैसर्स मंगलम सीमेंट लिमिटेड बनाम भारत संघ के निर्णयों (2015) एससीसी ऑनलाइन

राज 3492 और सीआईटी बनाम सरूप टेनरीज लिमिटेड के निर्णयों (2015) 60

taxmann.com 305 पर भरोसा किया जाता है।

3. अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि अपील को कम कर प्रभाव के कारण गलत तरीके से खारिज कर दिया गया था, इसलिए अपील पोषणीय है।

4. आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 260-ए नीचे पुनः प्रस्तुत है:-

“260ए. (1) अपीलीय न्यायाधिकरण द्वारा अपील में पारित प्रत्येक आदेश के विरुद्ध उच्च न्यायालय में अपील की जाएगी, यदि उच्च न्यायालय को यह समाधान हो जाता है कि मामले में विधि का कोई सारवान प्रश्न अंतर्वलित है।

(2) प्रधान मुख्य आयुक्त या मुख्य आयुक्त या प्रधान आयुक्त या आयुक्त या अपीलीय न्यायाधिकरण द्वारा पारित किसी आदेश से व्यथित कोई करदाता उच्च न्यायालय में अपील दायर कर सकेगा और इस उपधारा के अधीन ऐसी अपील-

(क) उस तारीख से एक सौ बीस दिन के भीतर दायर किया जाएगा, जिसको वह आदेश जिसके विरुद्ध अपील की गई है, करदाता या प्रधान मुख्य आयुक्त या मुख्य आयुक्त या प्रधान आयुक्त या आयुक्त द्वारा प्राप्त किया जाता है;

(बी) [***]

(ग) अपील ज्ञापन के रूप में, जिसमें सम्मिलित विधि के सारवान प्रश्न का स्पष्ट उल्लेख हो।

(2ए) उच्च न्यायालय धारा 12 में निर्दिष्ट एक सौ बीस दिन की अवधि की समाप्ति के पश्चात अपील स्वीकार कर सकेगा।

उपधारा (2) के (क) के अधीन, यदि उसका समाधान हो जाता है कि उस अवधि के भीतर उसे दाखिल न करने के लिए पर्याप्त कारण था।

(3) जहां उच्च न्यायालय का यह समाधान हो जाता है कि किसी मामले में विधि का कोई सारवान प्रश्न अंतर्वलित है, वहां वह उस प्रश्न का निरूपण करेगा।

(4) अपील केवल इस प्रकार तैयार किए गए प्रश्न पर ही सुनी जाएगी और उत्तरदाता को अपील की सुनवाई के समय यह तर्क देने की अनुमति होगी कि मामले में ऐसा प्रश्न अंतर्वलित नहीं है: परंतु इस उपधारा की कोई बात न्यायालय की, उसके द्वारा तैयार न किए गए किसी अन्य सारवान विधि प्रश्न पर अपील सुनने की शक्ति को, लेखबद्ध किए जाने वाले कारणों से, छीनने वाली या कम करने वाली नहीं समझी जाएगी, यदि उसका समाधान हो जाता है कि मामले में ऐसा प्रश्न अंतर्वलित है।

(5) उच्च न्यायालय इस प्रकार तैयार किए गए विधि के प्रश्न का विनिश्चय करेगा और उस पर ऐसा निर्णय देगा जिसमें वे आधार होंगे जिन पर ऐसा निर्णय आधारित है और ऐसा खर्चा अधिनिर्णीत कर सकेगा जैसा वह उचित समझे।

(6) उच्च न्यायालय किसी भी मुद्दे का निर्धारण कर सकता है जो

—

(क) अपीलीय न्यायाधिकरण द्वारा निर्धारित नहीं किया गया है; या

(ख) अपील अधिकरण द्वारा, उपधारा (1) में निर्दिष्ट विधि के ऐसे प्रश्न पर विनिश्चय के कारण, गलत अवधारित किया गया है।

(7) इस अधिनियम में अन्यथा उपबंधित के सिवाय, उच्च न्यायालय में अपीलों से संबंधित सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) के उपबंध, जहां तक हो सके, इस धारा के अधीन अपीलों के मामले में लागू होंगे।

5. अधिनियम की धारा 260-ए के अंतर्गत, विधि के सारवान प्रश्नों पर, न्यायाधिकरण द्वारा अपील में पारित प्रत्येक आदेश के विरुद्ध अपील उच्च न्यायालय में की जा सकेगी। वर्तमान मामले में, दायर अपील सुधार आदेश की बर्खास्तगी के विरुद्ध है, न कि अपील में पारित आदेश के विरुद्ध, फलस्वरूप, अपील पोषणीय नहीं है। उपरोक्त निर्णयों में भी यही दृष्टिकोण अपनाया गया है।

6. अपील पोषणीय न होने के कारण खारिज की जाती है। कहने की आवश्यकता नहीं कि अपीलकर्ता को कानून के अनुसार उपचार प्राप्त करने की स्वतंत्रता होगी।

(शुभा मेहता), जे

(अवनीश झिंगन), जे

चंदन/हिमांशु-87 एवं 91

क्या रिपोर्ट करने योग्य है: हाँ

"अस्वीकरण- इस निर्णय का अनुवाद स्थानीय भाषा में किया जा रहा है, एवं इसका प्रयोग केवल पक्षकार इसको समझने के लिए उनकी भाषा में कर सकेगे एवं यह किसी अन्य प्रयोजन में काम नहीं ली जायेगी। सभी अधिकारिक एवं व्यवहारिक उद्देश्यों के लिए उक्त निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही विश्वसनीय माना जायेगा एवं निष्पादन एवं क्रियान्वयन में भी उसी को उपयोग में लिया जायेगा।"



Tarun Mehra
Advocate